

झारखंड राज्य एवं अन्य

बनाम

वोल्टास लिमिटेड, ईस्ट सिंगभूम

09 मई, 2007

(एस.बी.सिन्हा और मार्कडेय काटजू, जे.जे.)

बिक्री कर- बिहार बिक्री कर अधिनियम धारा 21- बिहार बिक्री कर नियम- नियम 13ए- कार्य अनुबंध के मामले में कर योग्य कारोबार- अनुमेय कटौती- अभिनिर्धारित: यह केवल श्रम शुल्क नहीं है जो कार्य अनुबंध के मूल्य से कटौती योग्य हो, बल्कि अन्य सभी शुल्क/राशि भी है, सिवाय कार्य अनुबंध के निष्पादन में बेची गई वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर- ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल बेची गई वस्तुओं के मूल्य पर बिक्री कर के रूप में कर लगाया जा सकता है।

बिहार वित्त अधिनियम धारा-24, परंतुक- कार्य अनुबंध के संबंध में बिक्री कर मूल्यांकन प्रक्रिया- परिप्रेषण के अनुसार पुनर्मूल्यांकन दो साल के भीतर किया जाना था- लेकिन वास्तव में छः साल से अधिक समय के बाद किया गया- अभिनिर्धारित: कार्यवाही स्पष्ट रूप से समय बाधित थी।

प्रत्यर्था, कंपनी एयर कंडीशनिंग संयंत्रों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के अनुबंधों के निष्पादन में लगी हुई है। मूल्यांकन प्राधिकारी ने स्वीकार किया कि विचाराधीन अनुबंध कार्य अनुबंध थे और केवल कार्य अनुबंधों के निष्पादन में आपूर्ति की गई सामग्री पर कर लगाया जा सकता है। हालांकि, बिक्री कर अधिकारियों ने माना कि कर की घटना कार्य अनुबंध के निष्पादन में होने वाली संपत्ति के वास्तविक हस्तांतरण के अनुरूप है। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

इस न्यायालय में अपील में उठाया गया एक अतिरिक्त प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन मूल्यांकन कार्यवाही परिसीमा से परे थी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: 1. यह केवल श्रम शुल्क नहीं है जो कार्य अनुबंध के मूल्य से कटौती योग्य हो, बल्कि कार्य अनुबंध शुल्क/राशि भी कटौती योग्य है, सिवाय निष्पादन में बेचे गए माल के मूल्य को छोड़कर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेची गयी वस्तुओं के मूल्य पर ही बिक्री कर के रूप में कर लगाया जा सकता है।

(पैरा 13)

लार्सन एंड टुबरो लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 134 एसटीसी 354 में मंजूरी दी।

गैनन डंकरले और कंपनी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1993) 1 एससीसी 364 पर भरोसा किया।

मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकरले एंड कंपनी (मद्रास)(1959) एससीआर, 379, को सदंर्भित किया गया।

2. प्रश्न यह था कि विचाराधीन प्रक्रिया परिसीमा से परे थी । ऐसा प्रतीत होता है कि अवधि 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए तीन मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ, प्रत्यर्थी ने संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) के समक्ष तीन अपीलों को प्राथमिकता दी। अपीलीय प्राधिकरण ने 31 अगस्त, 1998 को एक सामान्य आदेश पारित किया और निर्णय को ज्ञापन संख्या 2177 दिनांक 05.11.1998 के माध्यम से निर्धारण प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी को सूचित किया। मूल्यांकन प्राधिकरण को पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिये गये कि बिहार वित्त अधिनियम की धारा 24 के परंतुक के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो साल, 05 नवम्बर, 2000 तक मूल्यांकन प्राधिकरण परिप्रेषण के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आदेश पूरा करना और पारित करना है। हालांकि, विहित समय में मूल्यांकन समाप्त नहीं हुआ था और उक्त आदेश के छः साल से अधिक समय के पत्र-व्यवहार के बाद 27 नवम्बर, 2004 को परिप्रेषण पर नये सिर से मूल्यांकन किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से समय बाधित था। (पैरा संख्या 15) (281-बी,सी,डी,ई)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2408/2007

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा डब्ल्यू.पी.(टी) 482/2005, डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 467/2005, डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 493/2005 तथा डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 466/2005 में दिये गए अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.06.2006 से।

अपीलार्थियों की ओर नगेन्द्र राय, बी.बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

आर.एफ.नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमन, ई. वेणु कुमार और हर्षद बनाम हमदा (मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी) प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय मार्कडेंय काटजू जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील रिट याचिका संख्या 482, 467, 493 और 466/2005 में झारखंड उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश 22.06.2006 के खिलाफ दायर की गई है।
3. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

4. प्रतिवादी, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत पंजीकृत कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ एयर कंडीशनिंग संयंत्रों की डिजाइनिंग, आपूर्ति, अधिष्ठापन, निर्माण, परीक्षण और प्रवर्तन के कार्य अनुबंधों के निष्पादन में संलग्न है। मूल्यांकन प्राधिकारी ने स्वीकार किया कि प्रश्नगत अनुबंध, कार्य अनुबंध थे और केवल कार्य अनुबंधों के निष्पादन में आपूर्ति की गयी सामग्री पर कर लगाया जा सकता है। हालांकि, ब्रिकी कर अधिकारियों ने कर की एक समान दर 16 % लगाने की मांग की थी, यह मानते हुए कि वर्तमान मामले में कर की घटना संपत्ति के वास्तविक हस्तांतरण के अनुरूप है, जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में हुई है।

5. यद्यपि प्रत्यर्थी ने 16% की दर से वसूले गए और मांगे गए ब्रिकी कर की पूरी राशि अपीलकर्ता के पास जमा कर दी थी, उसने अपने ग्राहकों को ब्रिकी कर 8% की दर तक सीमित कर दिया क्योंकि परिपत्र पत्र संख्या 3971 दिनांक 18.05.1984 के अनुसार बिहार सरकार, वित्त (वार्षिक कर) विभाग द्वारा जारी (अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्थी की ओर से शपथ पत्र का अनुलग्नक पी-4) अपीलकर्ता केवल 8% की दर से ब्रिकी कर वसूलने का हकदार था।

6. मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकरले एंड कंपनी (मद्रास), (1959) एससीआर 379, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विधायिका कार्य अनुबंध पर ब्रिकी कर नहीं लगा सकती क्योंकि कार्य

अनुबंध एक अविभाज्य अनुबंध है, जबकि बिक्री कर केवल बिक्री पर ही लगाया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि कार्य अनुबंध बिक्री नहीं है।

7. इसके बाद संसद ने भारत के संविधान (छियालिसवां) संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधन किया और उसमें अनुच्छेद 366 में खंड 29 ए (बी) शामिल किया। उपरोक्त खंड 29-ए में कहा गया है कि "माल की बिक्री या खरीद पर कर" शब्द में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है" (बी) वह कर है जो माल में संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे अंतरण पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित हैं।

8. गौनन डंकरले एंड कंपनी एंड अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1993) 1 एससीसी 364, में न्यायालय ने सिद्धांतों को निर्दिष्ट किया कि कार्य अनुबंध में किस पर कर लगाया जा सकता है। निर्णय के पैराग्राफ 47 में यह देखा गया है कि किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क में से कटौती की जानी चाहिए-

(क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क,

(ख) श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि

(ग) योजना, डिजाइन और वास्तुकार की फीस के लिए शुल्क

(घ) किराए पर या अन्यथा मशीनरी और उपकरण प्राप्त करने के लिए शुल्क

(ङ) कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों जैसे पानी, बिजली, ईंधन इत्यादि की लागत, जिसमें संपत्ति कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित नहीं की जाती है

(च) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च

(छ) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ, श्रम और सेवाओं की आपूर्ति की हद तक।

इसलिए इन वस्तुओं के मूल्य को पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य से घटाया जाना चाहिए। क्योंकि जिस पर कर लगाया जा सकता है, वह केवल माल की ब्रिकी पर है, किसी और चीज पर नहीं। सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानमंडल केवल वस्तुओं की ब्रिकी या खरीद पर कर लगा सकता है। यदि कोई वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III के अंतर्गत नहीं आती है, तो यह केवल केंद्रीय विधायिका यानी संसद ही हो सकती है जो सूची I के तहत या उसके अनुच्छेद-248 में निहित अवशिष्ट प्रावधान के तहत कर लगा सकती है।

9. बिहार ब्रिकी कर अधिनियम की धारा 21, यथा राज्य द्वारा संशोधित:

"धारा 21- कर योग्य टर्नओवर (1) इस भाग के प्रयोजन के लिए एक व्यापारी का कर योग्य कारोबार उसके सकल टर्नओवर का वह हिस्सा होगा जो उसमें से कटौती के बाद रह जाता है-

(ए) (i) कार्य अनुबंध के मामले में श्रम की मात्रा और कोई भी अन्य शुल्क निर्धारित तरीके से और विहित सीमा तक।"

10. बिहार ब्रिकी कर नियमावली का नियम 13ए जिसे 01 फरवरी, 2000 की एक अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"नियम 13ए, श्रम शुल्क के कारण कार्य अनुबंध के मामले में कटौती- (यदि डीलर कोई खाता प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत खाते अविश्वसनीय हैं) धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (i) में श्रम शुल्क के कारण कार्य अनुबंध के मामलों में सकल टर्नओवर निम्नलिखित प्रतिशत के बराबर होगा"



11. उपरोक्त प्रावधान झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 15.12.2000 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाए गए हैं और इस प्रकार झारखंड राज्य में लागू है।

12. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, 134 एसटीसी 354 के मामले में संशोधित धारा 21 (1) और नव प्रतिस्थापित नियम 13 ए की व्याख्या पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ में विचाराधीन थी। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के तहत टिप्पणी की:

“नियम 13 ए दुर्भाग्य से "किसी अन्य शुल्क" की बात नहीं करता है। नियम 13 ए दुर्भाग्य से इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि नियमों के तहत किसी भी अन्य शुल्क के संबंध में किस तरीके और सीमा तक कटौती निर्धारित की जानी थी। नियम 13 ए को धारा 21 (1) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (i) का पूर्ण अनुवर्ती कानून नहीं कहा जा सकता है। जब कानून यह प्रावधान करता है कि नियमों में कुछ निर्धारित किया जाना है तो प्रावधानों को व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से वैध बनाने के लिए उस चीज को नियमों में निर्धारित किया जाना चाहिए। गैरन डंकरले एंड कंपनी (1993) 88 एसटीसी 204 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम और नियम

धारा 5 की उप-धारा (3) और नियम 29 के उप-नियम (2) के रूप में विशेष कटौतियों के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण, वे अमान्य थे, दुर्भाग्यवश वर्तमान मामले में कानून के संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि विशेष कटौतियां प्रदान की जाएगी लेकिन धारा 21 में स्वयं या बिहार वित्त अधिनियम की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों में अन्य शुल्कों के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

.....

.....

.....

हमारी सुवचारित राय में नियमावली के नियम 13ए सपठित धारा 21 (1) के खंड (ए) के उपखंड (i) ने उपखंड (1) को पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं बनाया क्योंकि किसी अन्य शुल्क से संबंधित कटौती का तरीका और सीमा राज्य द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।”

13. हम उपरोक्त निर्णय में पटना उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं। यह केवल श्रम शुल्क ही नहीं है जो कार्य अनुबंध के मूल्य से कटौती योग्य है, बल्कि अन्य सभी शुल्क/राशि भी कटौती योग्य है सिवाय कार्य अनुबंध के निष्पादन में बेचे गए माल के मूल्य को छोड़कर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेची गई वस्तुओं के मूल्य पर

बिक्री कर के रूप में कर लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेची गई वस्तुओं के मूल्य पर ही बिक्री कर के रूप में कर लगाया जा सकता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी ने शुरू में केवल श्रम शुल्क में कटौती की बात कही थी, लेकिन यह उस समय कानून की समझ के मद्देनजर था। गैनन इंकरले एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद ही मामला स्पष्ट हो गया।

14. आगे यह उल्लेख किया जाता है कि कर की दर के बारे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियां अनावश्यक थी और उन्हें रद्द किया जाता है।

15. हम आक्षेपित निर्णय में अपनाए गए दृष्टिकोण से भी सहमत हैं कि विचाराधीन कार्यवाही परिसीमा से परे थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1990-91, 1991-92 और 1992-93 की अवधि के लिए तीन मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ प्रतिवादी ने संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) जमशेदपुर प्रमंडल, जमशेदपुर के समक्ष तीन अपीलें यानि जेयूएसटीए 56/97-98, 57/97-98 और 58/97-98 प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने 31 अगस्त, 1998 को एक सामान्य आदेश पारित किया और मेमो नंबर 2177 दिनांक 05 नवम्बर, 1998 के माध्यम से निर्धारण प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्णय के बारे में सूचित किया। कर निर्धारण

प्राधिकारी को पुनः मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। बिहार वित्त अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के अनुसार, मूल्यांकन प्राधिकारी को ऐसे आदेश के मूल्यांकन की तारीख से दो साल पहले 05 नवम्बर, 2000 तक रिमांड के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आदेश को पूरा करना और पारित करना था। हालांकि, मूल्यांकन समाप्त नहीं हुआ था और 27 नम्बर, 2004 को यानी उक्त आदेश के संचार के छः साल से अधिक समय के बाद रिमांड पर नया मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समय बाधित था।

16. रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 31 अगस्त, 1998 को पारित अपीलीय आदेश मेमो नम्बर 2177 दिनांक 05 नवम्बर, 1998 के माध्यम से मूल्यांकन प्राधिकारी को सूचित किया गया था। प्रत्यर्थी ने जनवरी 1999 में इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की। मेमो नम्बर 204 दिनांक 06 अगस्त, 2003 जैसा कि राज्य के वकील द्वारा संदर्भित किया गया था, दूसरी बार पत्र-व्यवहार है, जो केवल एक पुनःस्मरण था। इस प्रकार, अपीलीय आदेश को मेमो संख्या 2177 दिनांक 05 नवम्बर, 1998 के माध्यम से मूल्यांकन प्राधिकारी को सूचित कर दिया गया है, परीसीमन के प्रयोजन के लिए यह अवधि 05 नवम्बर, 1998 से शुरू होगी और 05 नवम्बर, 2000 को पूरी होगी यानी मूल्यांकन प्राधिकारी को ऐसे आदेश के संचार की तारीख से दो साल बाद। हम तदनुसार मानते हैं कि 27 नवम्बर,

2004 को रिमांड के बाद किए गए मूल्यांकन आदेश और सभी पुनर्मूल्यांकन ऐसे आदेश के अनुसरण में उठाए गए नोटिस की परिणामी मांग दिनांक 29 नवम्बर, 2004 बिहार वित्त अधिनियम की धारा 24 के तहत कालातीत है।

17. हालांकि, यहां प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि मूल्यांकन को इस आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि कर की दर 08% होगी। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, इस न्यायालय को उक्त में जाने की आवश्यकता नहीं है।

18. इस प्रकार हम आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। कोई हर्जा-खर्चा नहीं।

बी.बी.बी.

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से मुझ अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज सिंह फौजदार, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकारों को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यवहारिक व आधारिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

